an>

Title: Need to review the new norms recommended by the Saxena Committee for identification of households living Below the Poverty Line.

श्री ओम बिरला (कोटा) ः देश में वÂान् 2002 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का सर्वे करके उन्हें बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं यथा- स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सामग्री और शिक्षा आदि, उपलब्ध कराए जाने के लिए प्राथमिकता प्रदान करने का यही प्रमुख आधार निर्धारित किया गया है। उक्त बी.पी.एल. कार्डों के वितरण के पश्चात 2002 से अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ऐसे लोग जो उस समय चिन्हित नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिलने के कारण विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं जो उनके जीवन स्तर को सुधारने एवं नःशुल्क स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, उनसे उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। वÂान् 2011 से गणना की प्रक्रिया चालू की गई लेकिन अब तक सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का ही डेटा प्राप्त हुआ है जो प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि गत शासन में वÂान् 2011 में सरकार ने सामाजिक एवं जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया और सरकार के पास बी.पी.एल. चयन के लिए नए मानक निर्धारित किए जाने की अनुशंसा सक्सैना कमेटी द्वारा की गई। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि सक्सैना कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बी.पी.एल. में आने वाले परिवारों के लिए निर्धारित 14 मानदण्डों में से कई मानदण्ड व्यवहारिक दÂिट से अनुचित प्रतीत होते हैं जिनमें फोन कनेक्शनधारी होना, घर में रेफ्रिजरेटर होना तथा दो पहिया वाहन का मालिक होना जैसे बिंदु भी बी.पी.एल. श्रेणी से बाहर किए जाने का आधार माना गया है।

गत शासन में प्रस्तावित की गई बी.पी.एल. गणना की नई प्रणाली यदि लागू की गई तो लगभग 7.05 करोड़ (लगभगत 40 प्रतिशत) से अधिक वर्तमान बी.पी.एल. कार्डधारियों का बी.पी.एल. सेवाओं से वंचित होने का खतरा है। वहीं उक्त फॉर्मूले के आधार पर एक प्रतिशत से भी कम लगभग 16.5 लाख नए बी.पी.एल. कार्डधारी सम्मिलित होने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में बिना आर्थिक स्तर सुधारे एक बड़े वर्ग को बी.पी.एल. सेवाओं से वंचित किए जाने का खतरा आसन्न है, वहीं बड़ी संख्या में बी.पी.एल. हेतु पात्रता रखने वाले वर्ग को भी बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार द्वारा बी.पी.एल. चयन प्रक्रिया में विभिन्न अव्यवहारिक मानदण्डों को समाप्त किया जाना व वास्तविक रूप से वंचित परिवारों को अविलंब बी.पी.एल. कार्ड प्रदान करने की योजना प्रारंभ किया जाना आवश्यक है ताकि वÂान् 2002 से 2015 के बीच वंचित पात्र परिवारों को वास्तविक लाभ प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके।